उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड

मुख्यालयः ''उज्जवल'' महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून –
दूरभाष न0 0135–2530061,2530584

विज्ञापन सं0 1/Rectt/2009

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 (उ.ज.वि.नि.लि.) जल विद्युत उत्पादन के कार्य–व्यापार में संलग्न हैं । निगम उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व में है तथा राज्य में जल–विद्युत परियोजनाओं के विकास एंव संवर्धन की दिशा में अग्रसित है । उ.ज.वि.नि.लि. वर्तमान में निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति हेतु अर्ह अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित करता है :–

क0 सं0	पद नाम एवं वेतनमान	कोड न0	शाखा	सामान्य	अनु0 जा0	अनु0 ज0 जा0	अ0पि0व0 (Non-Creamy)	कुल पद
1	सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (वि0एवं यां0) 8550–275–13500	ए–1	विद्युत	13	05	01	03	**22**
		ए–2	यांत्रिक	09	03	–	02	**14**
2	सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (जानपद) 8550–275–13500	ए–3	जानपद	41	17	04	15	**77**
3	अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (वि0एवं या0) 5300–150–5600–175–9100	जे–1	विद्युत	41	08	01	08	**58**
		जे–2	यांत्रिक	27	05	01	05	**38**
4	अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (जानपद) 5300–150–5600–175–9100	जे–3	जानपद	161	48	10	32	**251**
	कुल पद			292	86	17	63	**460**

नोटः उपरोक्त पद उत्तराखण्ड शासन से अनुमति की प्रत्याशा में विज्ञापित किए जा रहे हैं एवं रिक्त पदों की संख्या घट/बढ़ सकती है ।

उपरोक्त विज्ञापित पदों हेतु शीर्ष (Vertical) आरक्षण के साथ, उत्तराखण्ड महिला 30, भूतपूर्व सैनिक 05, स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के आश्रितों 02 प्रतिशत एंव विकलांग अभ्यर्थियों (केवल अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के लिए श्रेणी 'ग' चलन प्रकिया संबंधी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात) को 03 प्रतिशत क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षण नीतियों/निर्देशों के अनुसार उपलब्ध होगा

सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (वि0एवंयां0)/जानपद

आवश्यक शैक्षिक योग्यतायें	आयु सीमा
सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अभियांत्रिकी की सम्बन्धित शाखा (इलैक्ट्रिकल/मैकेनिकल/जानपद) में डिग्री अथवा AMIE (Section A & B) में सामान्य/अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 55 प्रतिशत अंको के साथ परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है । अनु0जा0/ अनु0जनजाति अभ्यर्थियों के लिए अर्ह परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है । विभागीय (उ0ज0वि0नि0लि0 में कार्यरत) सामान्य एवं अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को अर्ह परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए ।	सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की आयु दिनांक 01–01–09 को 21 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । अनु.जाति/अनु0ज0जाति हेतु 05 वर्ष, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (Non-Creamy), भूतपूर्व सैनिक एंव स्वतंत्रता संग्राम सैनिको के आश्रितों हेतु 03 वर्ष एवं अनु.जाति/अनु0ज0जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के शारीरिक रूप से विकलांग, अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 10 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी । विभागीय अभ्यर्थियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी ।

अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (वि0एवंयां0)/जानपद

आवश्यक शैक्षिक योग्यतायें	आयु सीमा
अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद हेतु मान्यता प्राप्त पोलिटैक्निक/संस्थान से अभियांत्रिकी की सम्बन्धित शाखा (इलैक्ट्रिकल/मैकेनिकल/जानपद) में सामान्य/अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए तीन वर्षीय डिप्लोमा में 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है । अनु0जा0/अनु0जनजाति अभ्यथियों को अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा में उत्तीर्ण होना आवश्यक हैं विभागीय (उ0ज0वि0नि0लि0 में कार्यरत) सामान्य एवं अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को अर्ह परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए । **अन्य कोई अभियांत्रिकी शाखा एवं उच्च शैक्षिक योग्यता अनुमन्य नही होगी ।**	सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की आयु दिनांक 01–01–09 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । अनु.जाति/अनु0ज0जाति हेतु 05 वर्ष, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (Non-Creamy), भूतपूर्व सैनिक एंव स्वतंत्रता संग्राम सैनिको के आश्रितों हेतु 03 वर्ष एवं अनु.जाति/अनु0ज0जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के शारीरिक रूप से विकलांग, की अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 10 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी । विभागीय अभ्यर्थियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी ।

<u>चयन प्रक्रियाः</u>

सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु)

अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा एंव उसके बाद संक्षिप्त सूचीबद्ध (Shortlisted) अभ्यर्थियों के साक्षात्कार परीक्षा के आधार किया जायेगा । सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन 176 अंको की लिखित परीक्षा एंव 24 अंको की साक्षात्कार परीक्षा के आधार पर संयुक्त श्रेष्ठता सूची के अनुसार किया जायेगा । लिखित परीक्षा तीन घन्टे की अवधि की होगी, जिसमें दो प्रश्न–पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार (objective type) के होगे । प्रथम प्रश्न पत्र में General Aptitude Test से सम्बन्धित 50 प्रश्न होंगे तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में अभियांत्रिकी पर आधारित (Technical (Discipline-wise) 126 प्रश्न होगे । जिनके क्रमशः 50 एवं 126 अधिकतम अंक होगे । सामान्य एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा अनु0 जाति/अनु0ज0जाति के अभ्यर्थियों हेतु 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे । साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को पूरी तरह से मैरिट के क्रम में तथा सामान्यतः प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध पदों की संख्या के तीन गुना उत्तीर्ण अभ्यर्थियों (including Tie) को ही आमंत्रित किया जायेगा । समान अंक (Tie) की स्थिति में श्रेष्ठता सूची में पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठता दी जायेगी । अभ्यर्थियों का अंतिम चयन लिखित परीक्षा (88 प्रतिशत वेटेज) एवं साक्षात्कार (12 प्रतिशत वेटेज) में अर्जित अंकों के आधार पर तैयार की गई संयुक्त श्रेष्ठता सूची (Merit List) के आधार पर किया जायेगा । सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के लिए अभ्यर्थी एक वर्ष की अवधि के लिए सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पद पर चयनित किये जायेंगे तथा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त ही उनको नियमानुसार निगम में सहायक अभियन्ता कैडर में नियुक्त किया जायेगा ।

अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)

अभ्यर्थियों का चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगा । अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) हेतु लिखित परीक्षा तीन घन्टे की अवधि तथा दो प्रश्न–पत्रों में वस्तुनिष्ठ प्रकार (objective type) की होगी । प्रथम प्रश्न पत्र में General Aptitude Test से सम्बन्धित 50 प्रश्न होंगे तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में अभियांत्रिकी पर आधारित (Technical (Discipline-wise) 130 प्रश्न होगे । जिनके क्रमशः 50 एवं 130 अधिकतम अंक होगे । सामान्य एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा अनु0 जाति/अनु0ज0जाति हेतु 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे । अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर बनायी गयी श्रेष्ठता सूची (Merit List) के अनुसार होगा । समान अंक (Tie) की स्थिति में श्रेष्ठता सूची में पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठता दी जायेगी । अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के लिए अभ्यर्थी एक वर्ष की अवधि के लिए अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पद पर चयनित किये जायेंगे तथा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त ही उनको नियमानुसार निगम में अवर अभियन्ता कैडर में नियुक्त किया जायेगा ।

<u>परीक्षा केन्द्र</u>

चयन हेतु लिखित परीक्षा निम्न लिखित केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी । अभ्यथियों को अपनी प्राथमिकता के क्रम में दो विकल्पों को भरना होगा । स्थान की उपलब्धता का ध्यान रखते हुए केन्द्रों का चयन करने वाले अभ्यथियों की संख्या के आधार पर प्राथमिकता के विकल्प को प्रथम से द्वितीय में स्थानांतरित किया जा सकता है ।

परीक्षा केन्द्रः (1) देहरादून (2) पंतनगर (3) अल्मोड़ा (4) श्रीनगर

आवेदन शुल्क :–

सभी पदों हेतु सामान्य/अन्य पिछडा वर्ग एंव अन्य श्रेणियों के लिए रू0 400.00 तथा अनु0जाति/अनु0ज0जाति के अभ्यर्थियों के लिए रू0 200.00 का Account Payee बैक ड्राफ्ट जो कि **''उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0''** के नाम हो तथा देहरादून के किसी शैडयूल बैंक की शाखा में देय हों संलग्न करना अनिवार्य है। (जो किसी भी दशा में वापिस नही की जाने वाली Procesing Fees है)। ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, Form No एंव आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें ।

सामान्य निर्देश

1. अभ्यर्थी हिन्दी लिखने तथा बोलचाल में सक्षम होने चाहिए।
2. अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद हेतु उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी/मूल निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
3. अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद हेतु प्रदेश के किसी रोजगार कार्यालय में विज्ञापन प्रकाशित होने से पूर्व पंजीकृत हो ।
4. सभी योग्यताएं मान्यताप्राप्त संस्थान/बोर्ड/विश्वविद्यालय से प्राप्त होनी चाहिए।
5. किसी विशेष श्रेणी से सम्बन्धित होने का दावा प्रस्तुत किये जाने वाले अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड राज्य के सक्षम अधिकारी से निर्धारित प्रारूप में सम्बद्व प्रमाण–पत्र की प्रति आवश्यक रूप से आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी, अन्यथा उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी का माना जायेगा तथा बाद में श्रेणी परिवर्तन की किसी भी प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा ।
6. 200 उम्मीदवारों से कम वाले किसी विशेष स्थान की दशा में, प्रबन्धन को यह अधिकार है कि वह उस विशेष स्थान का विलय अपनी इच्छा पर निकटतम भौगोलिक स्थान पर कर दे।
7. एक बार आवंटित परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
8. अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने हेतु उसकी ग्राहयता ही काफी नही होगी ।
9. लिखित परीक्षा में बुलाए जाने हेतु उम्मीदवारों की संख्या को सीमित किये जाने के क्रम में प्रबन्धन को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक/तकनीकी योग्यताओं में उनके द्वारा प्राप्त अंको के प्रतिशत के आधार पर अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वालों को ही बुलाए।
10. लिखित परीक्षा हेतु अर्ह/पात्र अभ्यर्थियों की सूची, परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा की तिथि निगम की वैबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी । इस सूची पर उपलब्ध सभी अर्ह/पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा निर्गत कर दिए जायेंगे ।
11. प्रशिक्षित प्रशिक्षु के नियोजन हेतु आयु सीमा में प्रशिक्षण अवधि के बराबर अवधि की छूट अनुमन्य होगी । शिथिलता हेतु उन प्रशिक्षु प्रशिक्षार्थी दिशा–निर्देशो का पालन किया जाएगा जैसा कि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य के मामले में शीर्ष न्यायालय (Apex Court) द्वारा दिये गए है।
12. उत्तराखण्ड राज्य में अप्रैन्टिसशिप प्राप्त मूल/स्थाई निवासी अभ्यर्थियों को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की छूट होगी ।
13. लिखित परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर हेतु 1 अंक तथा गलत उत्तर हेतु ऋणात्मक (Negative) 1/4 अंक होंगे ।
14. लिखित परीक्षा की उत्तरशीट (Answer Sheet) डुप्लिकेट में होगी तथा परीक्षा के बाद डुप्लिकेट प्रति एंव प्रश्न बुकलेट अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी ।
15. लिखित परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) को निगम की वैबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा ।
16. चयन का परिणाम घोषित करने के साथ ही सभी अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के अंको को निगम की वैबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा ।
17. सभी पदों को उजविनिलि के संचालन क्षेत्र में रखा जाएगा जो, समयानुसार आवश्यकता पर निर्भर होगा।
18. उम्मीदवारों से आग्रह है कि वे ध्यान रखें कि उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 में उनका पदस्थापन/तैनाती अधिकतर उत्तराखण्ड के पहाड़ी/दूरवर्ती क्षेत्रों में हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्टस/पावर स्टेशन्स में होगा । उम्मीदवारों को इन स्थानों पर कार्य करने के लिए इच्छुक होना चाहिए ।
19. इस विज्ञापन तथा अथवा इस संदर्भ में प्रस्तुत आवेदन के सम्बन्ध में उठे किसी प्रकार के विवाद अथवा दावे के लिए कोई भी कानूनी प्रक्रिया केवल देहरादून तथा केवल देहरादून स्थित न्यायालय/ट्रिब्युनल/फोरम में ही दायर की जा सकती है जो ऐसे वाद/विवाद निपटाने का एकमात्र न्यायक्षेत्र होगा।
20. किसी भी तरह की लॉबी/प्रचार अभ्यर्थी की अयोग्यता समझी जाएगी।
21. अभ्यर्थी एक पद हेतु केवल एक ही आवेदन पत्र प्रेषित करें । एक ही पद हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्रेषित करने पर अभ्यर्थी की पात्रता को निरस्त किया जा सकता है ।
22. आवेदन के साथ समस्त शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण–पत्रों /अंक तालिकाओं की स्वंय द्वारा सत्यापित प्रतियां भी संलग्न होनी चाहिए ।
23. अभ्यर्थी द्वारा दिये गये अधूरे/गलत/अपठनीय वर्तमान पत्र व्यवहार के पते के कारण यदि कोई सूचना अभ्यर्थी तक नही पहुॅचती है तो उजविनिलि इस हेतु किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा ।
24. व्यक्तिगत रूप से लाए अथवा कोरियर द्वारा भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
25. निर्दिष्ट समय के भीतर प्रपत्रों/आवेदन के प्रस्तुत किये जाने में किसी प्रकार की देरी/रवानगी में खो जाने के लिए उ.ज.वि.नि. लि. उत्तरदायी नही होगा ।
26. केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग/प्रतिष्ठान/उजविनिलि में कार्यरत अभ्यर्थियो को अपने आवेदन उपयुक्त माध्यम (Through proper channel) से भेजने होगे, जिसमे यह उल्लेख हो कि अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक/ विजिलेन्स मामला नही चल रहा है ।
27. सहायक अभियन्ता के पद पर साक्षात्कार के समय केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग/प्रतिष्ठान में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से प्राप्त NOC प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
28. किसी भी प्रकार से अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/भ्रामक/बिना प्रोसेसिंग शुल्क/बिना हस्ताक्षर अथवा उल्लिखित निर्देशो के विपरीत, या देर से प्राप्त किए गए आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा ।
29. **अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप निगम की वैबसाईट www.uttarakhandjalvidyut.com से ही डाउनलोड कर वांछित प्रमाण पत्रों एवं निर्धारित शुल्क सहित दिनॉक 07–02–2009 तक विज्ञापन में निर्दिष्ट पते पर प्रेषित करें । अन्य किसी प्रकार के प्रारूप पर प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे ।**
30. आवेदन मोहरबन्द लिफाफे में, (जिस पर आवेदित पद का नाम एवं कोड उद्घृत हो), **केवल पंजीकृत/स्पीड पोस्ट** द्वारा इस प्रकार भेजें कि दिनॉक 07–02–2009 तक अवश्य पहुॅच जाए ।

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड

मुख्यालयः ''उज्जवल'' महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून – दूरभाष न0 0135–2530061,2530584

शुद्धिपत्र

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 द्वारा दिनॉक 10–01–2009 को विज्ञापन संख्या 01/Rectt/2009 के द्वारा सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु)/अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था । उक्त के कम में विज्ञापित पदों एवं पदों की संख्या में निम्नवत् संशोधन किया जाता हैः–

Sl. No.	पद नाम एवं वेतनमान	कोड न0	शाखा	सामान्य	अनु0 जा0	अनु0 ज0 जा0	अ0पि0व0 (Non-Creamy)	कुल पद'
1	सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (वि0/यां0) 8550–275–13500	ए–1	विद्युत	09	04	01	02	16
		ए–2	यांत्रिक	07	02	–	01	10
		ए–4	इलैक्ट्रोनिक्स	03	01	–	01	05
		ए–5	कम्पयूटर/आई0टी0	03	01	–	01	05
2	सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (जानपद) 8550–275–13500	ए–3	जानपद	41	17	04	15	77
3	अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)(वि0एवं या0) 5300–150–5600–175–9100	जे–1	विद्युत	29	10	01	06	46
		जे–2	यांत्रिक	19	06	01	04	30
		जे–4	इलैक्ट्रोनिक्स	07	02	–	01	10
		जे–5	कम्पयूटर/आई0टी0	07	02	–	01	10
4	अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (जानपद) 5300–150–5600–175–9100	जे–3	जानपद	161	48	10	32	251
	कुल पद			286	93	17	64	460'

'उपरोक्त पद उत्तराखण्ड शासन से अनुमति की प्रत्याशा में विज्ञापित किए जा रहे हैं एवं रिक्त पदों की संख्या घट/बढ़ सकती है ।

<u>आवश्यक शैक्षिक योग्यतायें</u> :–

सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अभियांत्रिकी की सम्बन्धित शाखा (इलैक्ट्रिकल/मैकेनिकल/ इलैक्ट्रोनिक्स एवं कम्यूनिकेशन/ कम्पयूटर/आई0टी0/जानपद (सिविल) में डिग्री अथवा AMIE (Section A & B) में सामान्य/अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 55 प्रतिशत अंको के साथ परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है । अनु0जा0/ अनु0जनजाति अभ्यर्थियों के लिए अर्ह परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है । विभागीय (उ0ज0वि0नि0लि0 में कार्यरत) सामान्य एवं अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को अर्ह परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिषत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए ।

अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद हेतु मान्यता प्राप्त पोलिटैक्निक/संस्थान से अभियांत्रिकी की सम्बन्धित शाखा (इलैक्ट्रिकल/मैकेनिकल/ इलैक्ट्रोनिक्स एवं कम्यूनिकेशन/ कम्पयूटर/आई0टी0/जानपद (सिविल) में सामान्य/अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए तीन वर्षीय डिप्लोमा में 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है । अनु0जा0/अनु0जनजाति अभ्यथियों को अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा में उत्तीर्ण होना आवश्यक हैं । विभागीय (उ0ज0वि0नि0लि0 में कार्यरत) सामान्य एवं अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को अर्ह परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए ।
<u>अन्य कोई अभियांत्रिकी शाखा एवं उच्च शैक्षिक योग्यता अनुमन्य नही होगी</u> ।

भर्ती सम्बन्धी विस्तृत विज्ञापन, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, सामान्य निर्देश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप (Application Format) निगम की वैबसाईट **www.uttarakhandjalvidyut.com** पर उपलब्द्ध है।

उपरोक्त विज्ञापन के सामान्य निर्देश के बिन्दु संख्या 02 को विलुप्त (Deleted) समझा जाय, तथा बिन्दु संख्या 03 को निम्नवत पढा जाय :–

<u>अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)</u> पद हेतु प्रदेश के किसी रोजगार कार्यालय में विज्ञापन प्रकाशित होने से पूर्व पंजीकृत हो । सेवारत अभ्यर्थियों की स्थिति में उनका उत्तराखण्ड राज्य के रोजगार कार्यालय में सेवा में आने से पूर्व का पंजीकरण भी मान्य होगा।

सभी तरह से पूर्ण आवेदन पत्र विज्ञापन में निर्दिष्ट पते– पर प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 07–02–2009 के स्थान पर 25–02–2009 पढ़ी जाय ।

विज्ञापन संख्या 01/Rectt./01/2009 दिनांक 10–01–2009 की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

UJVN Limited
यूजेवीएन लिमिटेड
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

''उज्जवल'',महारानी बाग, जी0 एम0 एस0 रोड, देहरादून

शुद्धि पत्र

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड में सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (ईएण्डएम) एवं (सिविल) एवं अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (ईएण्डएम) एवं (सिविल) के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन सं0 01/Rectt./2009 दिनांक 10–01–2009 एवं शुद्धि पत्र दिनांक 7/8–02–2009 में निम्नलिखित आंशिक संशोधन किए जाते हैंः–

1– सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) एवं अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद हेतु भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा सम्बन्धी बिन्दु में निम्नलिखित आंशिक संशोधन किया जाता हैः–

अ– सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद हेतु शासनादेश संख्या 17/2/1981–कार्मिक–2 दिनांक 28–02–1985 में निहित प्रावधानों के अनुसार आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित, भूतपर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों को जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा कर ली हो, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट, सेवाकाल को आधार मानकर, नियमानुसार अनुमन्य होगी।

ब– अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) पदों हेतु शासनादेश संख्या 6/1/1972– कार्मिक–2 दिनांक 25–4–1977 में निहित प्राविधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को जिन्होने संघ की सशस्त्र सेना में किसी कोटि में कम से कम 06 मास की अवधि के लिए लगातार सेवा की हो, को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने के उपरान्त इस पद हेतु निहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष तक अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी।

2– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को शासनादेश सं0 4020/XX/(4)–7/उ0आन्दो0/2006 दिनांक 08 नवम्बर, 2006 एंव आदेश संख्या 770 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 में निहित प्रावधानों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 50 वर्ष तक की छूट प्रदान की जायेगी। उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों/आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपरोक्त शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को इस श्रेणी में आच्छादित होने का शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

नोट– उपरोक्त श्रेणी के ऐसे, अभ्यर्थी इस श्रेणी में आच्छादित होने का प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/क्षैतिज आरक्षण हेतु उत्तराखण्ड राज्य द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम प्रमाण पत्र जो भी वांछित हो, की सत्यापित प्रतिलिपि नीचे दिये गये पते पर अन्तिम तिथि 10–05–2011 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

3– उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन एवं शुद्धि पत्र में इंगित आवेदन करने सम्बन्धी अन्य प्रावधान एवं शर्तें यथा आयु, शैक्षिक योग्यता इत्यादि यथावत रहेंगी। पूर्व में प्रकाशित विस्तृत विज्ञापन, शुद्धिपत्र एवं आवेदन पत्र का प्रारूप (Application Format) निगम की वैबसाइट www.uttarakhandjalvidyut.com पर भी उपलब्ध है।

4– **केवल वही आवेदक (भूतपूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी) जो पूर्व में आयु सीमा के कारण आवेदन न कर पायें हों,** अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में निगम की वैबसाइट से डाउनलोड कर वांछित प्रमाण पत्रों एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क रू0 400.00 (अनु0जाति एवं अनु0जनजाति के लिए रू0 200.00) के Account Payee डिमांड ड्राफ्ट जो कि ''**UJVN Limited**'' के नाम हो तथा देहरादून के किसी शैड्यूल बैंक की शाखा में देय हो, सहित लिफाफे पर **"Application for the post of Assistant Engineer (Trainee) (E&M or Civil)/Junior Engineer (Trainee) (E&M or Civil)**, जिस पद के लिए आवेदन किया हो, अंकित कर केवल पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा निम्नलिखित पते पर इस प्रकार भेजें कि दिनांक 10–05–2011 तक अवश्य पहुंच जाए:

पताः–

संयोजक (परीक्षा एवं चयन)
लेम्बर्ट स्कावयर गेस्ट हाउस,
जी0बी0 पन्त कृषि एवं प्राद्यौगिकी विश्वविद्यालय,
पन्तनगर, उधमसिंह नगर–263145

उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व विस्तृत विज्ञापन एवं शुद्धिपत्र अवश्य देख लें।

5– उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थी जिन्होने पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/Rectt./2009 एवं शुद्धि पत्र के विरूद्ध पूर्व में आवेदन किया है, **उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।**

6– *एतद्द्वारा सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि दिनांक 25–10–2009 को उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 में सहायक अभियन्ता(प्रशिक्षु)/अवर अभियन्ता(प्रशिक्षु) परीक्षा में कथित अनियमितताओं एंव पारदर्शिता न रखने के आरोपों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त परीक्षा को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।*

उक्त सन्दर्भ में प्रकाशित विज्ञापन 01/Rectt./2009 दिनांक 10–01–2009 सपठितं शुद्धि पत्र दिनांक 07/08–02–2009 के अनुक्रम में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों का पुनः परीक्षण करने के उपरांत उक्त विज्ञापन सपठित शुद्धि पत्र के अनुसार पूर्ण आवेदन पत्र प्रेषित करने वाले अर्ह अभ्यर्थियों को पुनः प्रवेश पत्र निर्गत किये जायेगें।

7– समस्त अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड का नाम परिवर्तित रूप में UJVN Limited हो गया है।

महाप्रबन्धक(का0एवं औ0 सं0)